न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31/2025

प्रविष्टि दिनांक 17.04.2025

मोहनलाल पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड निवासी बालापुरा, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान ।

.....आवेदक

बनाम

1. बदाम पत्नि लादू पुत्री नारायण जाति जाट निवासी अलियारी, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान ।

2. अलॉटमेन्ट सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970
विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2010

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1

निर्णय

दिनांक 15/5/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी सं. 1 को दिनांक 07.12.2010 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 मे से 0.50 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का आवंटन किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक आवेदक एवं अभिभाषक प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी सं. 1 बदाम ने अपने प्रार्थनापत्र में कोई भूमि नही होना अर्थात स्वंय को भूमिहीन बताते हुए आवेदन पेश किया है जबकि प्रतिपक्षी सं01 आवंटी बदाम भूमिहीन नही है। प्रतिपक्षी सं01 के पति के पास ग्राम अलियारी, तहसील टोडारायसिंह में 50 बीघा भूमि मौजूद है। उक्त तथ्य को छिपाते हुए तथा प्रार्थनापत्र मे आवंटी ने गलत तथ्य अंकित करते हुए उक्त आवंटन करवाया है। प्रार्थनापत्र के चरण सं02 मे जो आवंटी ने भरकर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष पेश किया है, उस कॉलम में यह अंकित है कि "मेरे/हमारे नाम से मेरे/हमारे संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से कृषि प्रयोजनार्थ कोई भूमि नही है।" उक्त कॉलम मे प्रतिपक्षी सं01 ने कोई भूमि नही दर्शाते हुए छल व कपट पूर्ण तरीके से उक्त आवंटन आदेश प्राप्त किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिपक्षी सं0 1 बदाम के पास उसके पीहर ग्राम लाखोलाई मे भी बदाम पुत्री नारायण के नाम से कृषि भूमि है। उक्त तथ्य को भी छिपाते हुए प्रार्थनापत्र मे उक्त कृषि भूमि का उल्लेख नहीं करते हुए छल व कपटपूर्ण तरीके से उक्त अलाटमेन्ट प्राप्त किया प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवंटन प्रार्थनापत्र मे बदाम पुत्री नारायण अंकित किया है, प्रतिपक्षी सं. 1 ने जानबूझकर अपने पति लादू का नाम अंकित नही किया है, क्योंकि प्रतिपक्षी सं. 1 जानती थी कि उसके पति के पास काफी सारी कृषि आराजीयात है। इस कारण गलत सूचना देते हुए आवंटी ने प्रार्थनापत्र ॲलाटमेन्ट प्रस्तुत किया है। आवंटी ने आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना भी नही की है। उक्त आराजीयात पर आवंटी का कब्जा भी नही है। आवंटन कमेटी ने बालापुरा जाटान मे आवंटन किये जाने बाबत कोई उद्घोषणा जारी नही की है, ना ही उक्त आवंटन से पहले अनाधिवासित भूमियों की सूची तैयार की है, उसके उपरांत भी उक्त ॲलाटमेन्ट आदेश जारी कर भारी कानूनी भूल की है। इस कारण भी उक्त ॲलाटमेन्ट आदेश खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी सं. 1 ग्राम अलियारी, तहसील टोडारायसिंह की निवासी है, ग्राम बालापुरा जाटान की निवासी नहीं है। उसके उपरांत भी उसे बालापुरा जाटान में स्थित भूमि आवंटित की गई है जबकि बालापुरा जाटान में बहुत सारे कृषक ऐसे है, जो भूमिहीन है। उनके अधिकारो को समाप्त करते हुए बिना किसी आधार के बदाम को उक्त भूमि आवंटित की गई है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन उपरोक्त सभी कारणों से स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन दिनांक 07.12.2010 अपास्त किया जावें।

अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी सं. 1 को किया गया उक्त आवंटन विधिसम्मत है। प्रतिपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार पैशा महिला है, प्रतिपक्षी संख्या 1 जन्म से ही ग्राम ढाणी लाखोलाई ग्राम पंचायत बालही में निवास करती रही है। प्रतिपक्षी का विवाह श्री लादू पुत्र नारायण जाट निवासी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अलियारी के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु विवाह के समय से लेकर अब तक प्रतिपक्षी अपने पीहर में ही रहती आयी है। प्रतिपक्षी का राशन कार्ड भी अपने पीहर पक्ष के परिवारजनों के साथ बना हुआ है और मतदाता पहचान कार्ड भी ढाणी लाखोलाई का ही बना हुआ हैं । प्रतिपक्षी के स्वंय के नाम कोई भूमि अपने ससुराल या पीहर में आवंटन से पूर्व नहीं थी। प्रतिपक्षी के नाम ग्राम लाखोलाई में कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रतिपक्षी का पूर्व में विगत 25–30 वर्षों से आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1763/4812 पर कब्जा व काश्त चला आ रहा था, इस सम्बन्ध में पूर्व में तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा मिसल नम्बर 2278/2004 के द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस देकर जो कार्यवाही की गई थी, वह भी बदाम पुत्री नारायण के नाम से की गई थी।

आवंटन के बाद आवंटन अधिकारी ने दिनाक 20.12.2010 को विधिवत रूप से गवाहान श्रवण व प्रहलाद पि० नारायण जाट के समक्ष आवंटित भूमि पर प्रतिपक्षी का कब्जा करवा दिया था एंव प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवंटित भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर काश्त की है, जो कि उक्त भूमि की खसरा गश्त गिरदावरी की नकल से प्रमाणित है, इस तरह आवंटन ओदश की शर्त संख्या 6(3) की पूर्ण रूप से पालना आवंटी ने की है और आज भी आवंटित भूमि पर काबिज है।

आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1763/4812 ग्राम बालापुरा जाटान पर आवेदिका का पिछले 25–30 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस आवंटित भूमि के अडवां ही प्रतिपक्षी सं.1 के पीहर पक्ष के परिजनों के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1521 व खसरा नम्बर 1763/4590 व अन्य भूमियां है। जबकि आवेदक या उसके परिवार की कोई भूमि वहां पर नहीं है। आवंटी प्रतिपक्षी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार पेशा महिला होने के कारण व आवंटी के नाम कोई भी भूमि आवंटन से पूर्व नही होने एंव आवंटित भूमि पर वर्षों से प्रतिपक्षी का कब्जा काश्त होने के कारण विधिवत रूप से उक्त आवंटन किया गया है। अतः आवेदक का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी सं. 1 को दिनांक 07.12.2010 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 मे से 0.50 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का आवंटन किया गया था। आवेदक का कथन हैं कि आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं थी एवं उसके नाम ससुराल व पीहर में कृषि भूमि थी परन्तु आवेदक ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

प्रतिपक्षी सं. 1 का ही कब्जा था। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया हैं जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा द्वारा दिनांक 07.12.2010 को प्रतिपक्षी सं0–1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 07.12.2010 को प्रतिपक्षी सं0–1 को आराजी खसरा नम्बर 1763/4812 मे से 0.50 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम बालापुरा जाटान, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

(रामस्वरूप सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक